उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

दिनांक– 22 जून, 2016 को वित्त समिति की **नौवीं** बैठक कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार मे प्रातः 11:30 बजे सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1– प्रो0 नागेश्वर राव ..... अध्यक्ष
कुलपति एवं अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

2– सुश्री कृष्णा रौंकली ..... सदस्य
निदेशक (वित्त)
(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)

4– डॉ0 बी0सी0 मलकानी ..... सदस्य
निदेशक, उच्च शिक्षा
(प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा)

22/6/2016

3– श्रीमती आभा गर्खाल ..... सचिव
वित्त नियंत्रक
(सचिव वित्त समिति)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

विशेष आमंत्रित

1– प्रो0 आर0 सी0 मिश्र
कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

22/6/16

2– श्री खेमराज भट्ट
सहायक कुलसचिव (वित्त)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

22/06/2016

बैठक के प्रारम्भ में वित्त समिति के सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा अध्यक्ष, वित्त समिति/कुलपति जी की अनुमति से विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 9वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद संख्या–09.01 **वित्त समिति की 8वीं बैठक, जो दिनांक 05 मई 2015 को सम्पन्न हुई थी के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 8वीं बैठक **05 मई 2015** का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया एवं प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तद्नुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से 8वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या–09.02 **वित्त समिति की 8वीं बैठक दिनांक 05 मई 2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।**

वित्त समिति की 8वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा 8:08 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार कार्पस फण्ड सृजित किये जाने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश प्राप्त हुए, शेष बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया, समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 02 बार वित्त समिति की बैठक आहूत करने का भी सुझाव दिया।

मद संख्या–9.03 **वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त राज्य अनुदान के आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित आय–व्यय का विवरण एवं अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतनादि तथा सहायक अनुदान मदों हेतु प्राप्त राज्य अनुदान आय–व्ययक विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुमानित व्यय विवरण (कार्यवृत्त संलग्नक–'क' 'ख' एवं 'ग') समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

य अनुदान के

संख्या–35) में
नराशि आवंटित
वेवरण (कार्यवृत्त
द्वारा प्रपत्रों का
आगणित बजट
किये जाने का
द्वारा समयबद्ध
आवश्यकता पर

र विचार एवं

वेद्यालय को ₹
में अवशेष आय
ही। वित्तीय वर्ष
कार वित्तीय वर्ष
9,61,55,057/–
अवलोकन कर
में हुए व्यय का
अवशेष कुल ₹
राष्ट्रीय कृत बैंक
अनुमोदन प्रदान
अधिक ब्याजांश
ालय के हित में
प्रदान की गयी।
बैलेंस शीट वर्ष
मेति द्वारा ऑडिट
प्रस्तुत करने की
आधार पर बेहतर
। सुनिश्चित करते
ात कराने का भी

मद संख्या–09.06 **विश्वविद्यालय के अन्य आय श्रोतों से शासन/डैब से प्राप्त होने वाले अनुदानों की प्रत्याशा में व्यय किये जाने की स्वीकृति।**

शासन स्तर से वेतन, भत्ते एवं अन्य व्ययों हेतु बजट आवंटित किया जाता है, परन्तु यह राशि वेतनादि मद में पर्याप्त नहीं होती। यद्यपि इसके लिये शासन से अतिरिक्त बजट की मांग की जाती है, तथापि शासन से यथासमय बजट अवमुक्त नहीं हो पाता है। बजट प्राप्तियों में बिलम्ब के दृष्टिगत विश्वविवद्यालय हित में शुल्कादि से प्राप्त आय से कार्मिकों के वेतनादि तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का वित्तीय भार भी वहन करना होता है। इस हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग को पूर्ण करने के लिये विश्वविद्यालय के शुल्कादि मद में उपलब्ध धनराशि को प्राप्त अनुदान की प्रत्याशा में व्यय किया जाता है। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आवश्यक व्यय को शासन अथवा डैब से प्राप्त होने वाले बजट की प्रत्याशा में शुल्कादि मद से व्यय किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या–09.07 **वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान एवं आय–व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में डेब–यू0जी0सी0 के पत्र दिनांक 18 मार्च 2016 द्वारा विश्वविद्यालय को विभिन्न मदों में ₹ 2.50 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त में ₹ 1.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी, उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–2016 समाप्ति के उपरान्त दिनांक 02 अप्रैल 2016 को विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त हुआ। प्रथम किस्त में प्राप्त धनराशि ₹ 1.75 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.09 करोड़ व्यय/शुल्कादि मद से व्यय की गयी धनराशि के समायोजनोपरान्त उक्त मद में ₹ 00.66 लाख की धनराशि अवशेष है। आय–व्ययक विवरण (कार्यसूची संलग्नक–'च') समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में डेब–यू0जी0सी0 मद में अनुदान प्राप्ति की अवधि तक इस हेतु निर्धारित मदों में विश्वविद्यालय अन्य आय श्रोतों (शुल्कादि) से व्यय की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि डेब–यू0जी0सी0 मद में अनुदान प्राप्ति उपरान्त सम्बन्धित व्ययों को समायोजित कर लिया जाय।

मद संख्या–09.08 **विश्वविद्यालय के स्वतः आय श्रोतों से पाठ्य सामग्री भण्डारण हेतु पुस्तक भण्डार गृह, 30 हजार लीटर क्षमता वाले आर0सी0सी0 टेंक, वाटर सप्लाई , फायरफाईटिग, फैब्रीकेशन आफ एम0एस0 फ्रेम–ग्रिल तथा ए0टी0एम0, पोस्ट आफिस, 02 टाईलेट, 1 फैसीलेशन रूम आदि के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

मद संख्या–09.04 **वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत पक्ष में प्राप्त राज्य अनुदान के आय–व्यय विवरण का अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत पक्ष (अनुदान संख्या–35) में प्राविधानित बजट ₹ 1,000,00,00/– के सापेक्ष कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी। पूर्व में प्राप्त राज्य अनुदान आय–व्ययक विवरण (कार्यवृत्त संलग्नक–'ग') समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से ₹ 23,44,33,000/– के आगणित बजट को औचित्यपूर्ण मानते हुए शासन स्तर पर बजट अवमुक्त किये जाने का अनुरोध तथा पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया तथा समिति द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मद संख्या–09.05 **वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्य श्रोतों (शुल्क) से आय–व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्य श्रोतों से विश्वविद्यालय को ₹ 19,59,43,126/– आय प्राप्त हुआ, वित्तीय वर्ष 2014–2015 में अवशेष आय को सम्मिलित करते हुए कुल आय ₹ 31,61,86,381/– रही। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कुल व्यय ₹ 12,00,31,324/– हुआ। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–2017 के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय के पास कुल ₹ 19,61,55,057/– अवशेष है, समिति द्वारा बजट विवरण तालिका का अवलोकन कर आय–व्यय की पुष्टि करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–2016 में हुए व्यय का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय के पास अवशेष कुल ₹ 19,61,55,057/– अर्थात 75 प्रतिशत धनराशि को किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में 03 माह के आधार पर एफ0डी0 के रूप में रखने का अनुमोदन प्रदान किया गया। जिससे विश्वविद्यालय को एफ0डी0 के रूप में अधिक ब्याजांश का लाभ प्राप्त हो सके, अवशेष धनराशि में से विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक व्यय किये जाने पर भी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के आय–व्यय की ऑडिटेड बैलेंस शीट वर्ष 2014–2015 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया। समिति द्वारा ऑडिट आपत्तियों एवं उनके निस्तारण की स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हैं, विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर वित्तीय नियोजन के लिये मदवार बजट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अगली बैठक में वस्तुस्थिति से वित्त समिति को अवगत कराने का भी सुझाव दिया।

कर्मियों के वेतन स्वयं के संसाधनों से करने, तथा 02 गनमैन के नियोजन की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या–09.11 **विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा विभिन्न परीक्षाओं एवं अन्य कार्यो हेतु प्रस्तावित शुल्क एवं पुर्ननिर्धारिण पर विचार ।**

विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10 मार्च 2016 में परियोजना कार्य हेतु शुल्क का निर्धारण, परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले आनुषांगिक व्यय, प्रमाणपत्रों एवं उपाधि पत्रों हेतु शुल्क निर्धारण, मोडरेशन हेतु पारिश्रमिक, परीक्षा केन्द्रों में आन्तरिक सचल दल की तैनाती, ओ0एम0आर0 शीट के मूल्यांकन दरों का निर्धारण, प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क, पुर्नमूल्यांकन, स्क्रूटनी, चुनौती मूल्यांकन की दरों में संशोधन तथा परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सहायकों को देय मानदेय की संस्तुति के आलोक में समिति द्वारा निम्न प्रकार सहमति प्रदान की गयी है।

(क) परियोजना कार्य के लिए शुल्क का निर्धारण पर समिति की सहमति निम्नवत् है।

शीर्षक	04 क्रेडिट तक देय शुल्क प्रस्तावित	समिति द्वारा संस्तुत	5 से 12 क्रेडिट तक देय शुल्क प्रस्तावित	समिति द्वारा संस्तुत
परियोजना शुल्क	1000	800	1500	1200
लघु परियोजना हेतु निर्देशन पारिश्रमिक	300	300	500	500
मूल्यांकन पारिश्रमिक	200	200	300	300
मौखिक पारिश्रमिक	100	100	100	100

नोट–

1. क्षेत्रीय कार्य (Field Work) हेतु मूल्यांकनकर्ता को ₹ 50 प्रति परीक्षार्थी देय होगा।
2. एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम 10 परियोजना कार्य दिये जा सकते हैं।
3. परीक्षार्थियों की संख्या 10 से अधिक होने पर केन्द्रीय मूल्यांकन पद्वति अपनायी जायेगी तथा एक मूल्यांकर्ता को अधिकतम 25 परियोजना कार्य का मूल्यांकन कार्य दिया जायेगा।

(ख) परीक्षा केन्द्रों के आनुषांगिक व्यय न्यूनतम ₹ 1500 अथवा ₹ 12 प्रति छात्र, जो भी अधिक हो, के भुगतान की अनुमति

(ग) डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र के शुल्क में संशोधन–

शीर्षक	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क	समिति द्वारा संस्तुत
Provisional Certificate/Provisional Diploma/Provisional Degree	50	100	100
Duplicate Copy of Provisional Certificate/Provisional Diploma/Provisional Degree	100	150	100
Original Certificate/Diploma/Degree	200	300	300
Duplicate Certificate/Diploma/Degree	.....	1000	300

समिति ने भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक–23 जनवरी 2016 एवं 18 मई 2016 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर विश्वविद्यालय के स्व आय श्रोतों से पाठ्य सामग्री भण्डारण हेतु पुस्तक भण्डार गृह, 30 हजार लीटर क्षमता वाले आर0सी0सी0 टेंक, वाटर सप्लाई, फायरफाईटिग, फैब्रीकेशन आफ एम0एस0 फ्रेम–ग्रिल तथा ए0टी0एम0, पोस्ट आफिस, 02 टाईलेट, 1 फैसीलेशन रूम आदि के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया। प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु ₹ 100 लाख विश्वविद्यालय के आय श्रोतों से वहन किये जाने की सहमति भी प्रदान की। जिसकी अनुपालन आख्या और वित्तीय विवरण, वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।

मद संख्या–09.09 **शासकीय अनुदान से निर्मित किये जा रहे भवनो हेतु शासन से प्राप्त अनुदान से समायोजित किये जाने के प्रतिबद्व के साथ अनुदान प्राप्त कि विश्वविद्यालय आय श्रोत से रू0 01.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2014–15 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन के लिये रू0 427.21 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 1.00 करोड़ अवमुक्त किये जाने के उपरान्त अभी तक 327.21 लाख की धनराशि अवमुक्त नहीं हो पायी है। विश्वविद्यालय स्तर से बार–बार शासन को अनुरोध किये जाने, कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अद्यतन अवधि तक अवमुक्त नहीं हो पायी है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षिणिक भवन का कार्य अवरूद्व है। विश्वविद्यालय हित में समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अन्य आय मद में उपलब्ध धनराशि में से ₹ 100 लाख की धनराशि अवमुक्त करने की सहमति इस प्रत्याशा में व्यक्त की गयी, कि शासन से प्राप्त होने वाले बजट से इस धनराशि का समायोजन करा लिया जाय तथा अगली बैठक में इसकी पुष्टि करा ली जाय।

मद संख्या–09.10 **विश्वविद्यालय परिसर की रात्रि सुरक्षा हेतु 02 हथियार बन्द सुरक्षा कर्मियों (गनमैन) के नियोजन की कार्योत्तर स्वीकृति।**

विश्वविद्यालय हित में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आउट सोर्स/ उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से पूर्व में 13 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। विश्वविद्यालय में रात्रि में चोरी की घटनाओं के दृष्टिगत 02 गनमैन को तात्कालिक आवश्यकतानुसार उपनल द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तो पर नियमानुसार योजित किया गया। विश्वविद्यालय में वर्तमान में सुरक्षा कर्मियों की संख्या–15 है। समिति ने सृजित पदों से भिन्न नियोजित सुरक्षा

300
100
200

पत्रों में सूचना
होगीं।
अनुमन्य किया
लगाये जाने की

निम्न तालिका

के सदस्यों की
02
03
04

स्तिका देय होगी।
क्षा सहायकों की
नदेय देय होगा।

ाकस्मिक व्यय
50 प्रति दिन
दैव

रें
छात्र व
800 प्रतिदिन
दिन
दिन

ी ले जाने व

(ठ) बाह्य परीक्षकों को प्रतिदिन नियमानुसार पूर्व की भांति स्थानीय यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, तथा समिति ने यह भी सुझाव दिया, कि किसी भी शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव पहले विद्यापरिषद से पारित करना आवश्यक होगा।

मद संख्या–09.12 अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार एवं पहचान पत्र निर्गत किये जाने हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

अध्ययन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण प्रवेश आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिये जाते हैं जिनमें त्रुटियों के निवारण हेतु विश्वविद्यालय कार्मिकों का समय लगने के साथ–साथ प्रार्थना पत्रों को अंतिम रूप दिये जाने में बिलम्ब होता है। इस समस्या के निदान हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर वित्त समिति का विचार निम्न प्रकार है:–

1. क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रवेश आवेदन पत्रों में त्रुटि पाये जाने की दशा में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र से ₹ 100 का त्रुटि सुधार शुल्क वसूला जाये। एक अध्ययन केन्द्र पर अपूर्ण पाये जाने वाले आवेदन की कुल राशि को ₹ 100 के गुणक में आगणित करते हुए कुल धनराशि को सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को देय अंशदान में से काटकर ही अवशेष धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, कि इस प्रकरण को लम्बित रखा जाय, तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सम्बन्ध में पत्राचार कर त्रुटिरहित प्रवेश आवेदन पत्रों को विश्वविद्यालय में प्रेषित करने हेतु पत्राचार किया जाय।
2. ऑनलाइन पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी से ₹ 50 की धनराशि निर्धारित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।
3. किसी विद्यार्थी के पहचान पत्र के खो जाने अथवा विनष्ट होने की दशा में पहचान पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु ₹ 100 का शुल्क प्राप्त किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

मद संख्या–09.13 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, अतिरिक्त पाठयक्रमों, अध्ययन केन्द्र नवीनीकरण शुल्कों के प्रस्तावित दरों, तथा अध्ययन केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण/भ्रमण के लिए विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव ।

वर्तमान मे विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन 220 अध्ययन केन्द्र संचालित हो रहे है। समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अध्ययन केन्द्रों के स्थापनाओं के परिप्रेक्ष्य में आवेदन पत्र प्राप्त होते है। अध्ययन केन्द्र आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन करने वाले संस्थाओं का निरीक्षण/भ्रमण के लिए विशेष दैनिक भत्ता निम्नवत अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

Duplicate Marksheet	200	300	300
Verification of Certificate/Degree/Diploma by any agency	—	100	100
Scrotney fee	100	200	200

नोट– सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के साथ–साथ अन्य विधिक औपचारिकताएं भी पूर्ण करनी होगीं।

(घ) मॉडरेशन कार्य हेतु वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों को ₹ 300 प्रतिप्रश्नपत्र अनुमन्य किया जाना। साथ ही स्ट्रांगरूम में चैनल गेट एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(च) परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा की तिथियों के दिन आन्तरिक सचल दल हेतु निम्न तालिका अनुसार मानदेय अनुमन्य किया गया है।

छात्र संख्या	मानदेय प्रतिपाली	सचल दल के सदस्यों की संख्या
100 तक	₹ 120 प्रतिपाली प्रतिव्यक्ति के साथ ₹ 50 आकस्मिक व्यय	02
200 तक	₹ 120 प्रतिपाली प्रतिव्यक्ति के साथ ₹ 50 आकस्मिक व्यय	03
200 से अधिक	₹ 120 प्रतिपाली प्रतिव्यक्ति के साथ ₹ 50 आकस्मिक व्यय	04

(छ) ओ.एम.आर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ₹ 01.00 प्रति उत्तर पुस्तिका देय होगी।

(ज) परीक्षा सहायकों की तैनाती मानक एवं देय मानदेय– परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सहायकों की तैनाती तथा उनको देय मानदेय के संबंध में निम्न तालिका के अनुसार मानदेय देय होगा।

तैनाती मानक (छात्र संख्या)	देय मानदेय	आकस्मिक व्यय
छात्र सं0 200 तक 01 परीक्षा सहायक	₹ 150 प्रतिपाली	₹ 50 प्रति दिन
छात्र सं0 200 से अधिक तक 02 परीक्षा सहायक	तदैव	तदैव

(झ) निम्न कार्यों हेतु दरों में संशोधन हेतु कार्येत्तर स्वीकृति

विवरण	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा आन्तरिक व वाह्य परीक्षक	₹ 15 प्रति छात्र व न्यूनतम ₹ 250/– प्रतिदिन	₹ 15 प्रति छात्र व न्यूनतम ₹ 800 प्रतिदिन
प्रयोगशाला सहायक/परिचर	₹ 200 प्रतिदिन	₹ 250 प्रतिदिन
प्रयोगशाला चतुर्थ श्रेणी	₹ 40 प्रतिपाली	₹ 150 प्रतिदिन

परीक्षा कार्यों हेतु तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को गोपनीय सामग्री ले जाने व लाने हेतु दिये जा रहे मानदेय ₹ 500/– प्रतिदिन

माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु नियत की जाने वाली विभिन्न तिथियों में प्रभावी/आदेश होने की स्थिति में	₹ 2500/–
माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु नियत की जाने वाली विभिन्न तिथियों में निष्प्रभावी/आदेश न होने की स्थिति में	₹ 1100/–
प्रार्थना–पत्र आदि हेतु व्यय	₹ 2500/–
एक से अधिक प्रकृति के वाद संयुक्त रूप से सूचीबद्ध किये जाने पर प्रथम वाद हेतु पूर्ण शुल्क तथा तत्पश्चात संलग्न वादों हेतु	1/3
विधिक राय हेतु	₹ 5000/–
परामर्श शुल्क	₹ 1500/–

जिला न्यायालय/श्रम न्यायालय के लिए निर्धारित की जाने वाली पारिश्रमिक दरें:–

विवरण	दरें
जवाब दावा/प्रतिशपथ कराये जाने हेतु	₹ 5000/–
प्रकीर्ण व्यय (टंकण/फोटोकॉपी/कोर्ट फीस आदि)	वास्तविक व्यय
अन्य वाद व्यय	₹ 2000/–

समिति द्वारा उपरोक्त दरों का अवलोकन करते हुए, अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सचिव, वित्त समिति द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सचिव,
वित्त समिति
Finance Controller
rakhand Open University
Haldwani

अध्यक्ष,
वित्त समिति
प्रो० नागेश्वर राव
कुलपति

क्रम सं0	समिति के नामित सदस्य	
1	निदेशक/प्राध्यापक स्तर	₹ 700/–
2	सहायक निदेशक/सह प्राध्यापक स्तर	₹ 700/–
3	सहायक प्राध्यापक	₹ 700/–
4	तृतीय श्रेणी कार्मिक	₹ 200/–

9.13

ख– अध्ययन केन्द्र स्थापना, अनुबन्ध के नवीनीकरण तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अतिरिक्त पाठ्यक्रम के आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क लिया जाता है। तत्पश्चात अग्रेत्तर कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित राशि को स्वीकार नहीं किया गया है तथा पूर्व लिये जा रहे शुल्क को यथावत रखे जाने का अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव –

(अ) आवेदन पत्रों के स्क्रूटनी कार्य के लिए तृतीय एवं चतुर्थ कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रवेश अनुभाग के द्वारा आवेदन पत्रों के स्क्रूटनी कार्यो के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को क्रमशः ₹ 2.00 प्रति आवेदन पत्र एवं ₹ 0.50 प्रति आवेदन पत्र की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित किया गया था। वित्त समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण ढंग से पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया।

(ब) ₹ 50,000/–(पचास हजार मात्र) तक के देयकों को कुलपति के स्थान पर कुलसचिव अथवा कुलपति द्वारा नामित अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश पारित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

समिति के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव के गुण–दोष के आधार पर कुलसचिव, को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों/व्ययों को संचालन हेतु **₹ 10,000/– (दस हजार मात्र)** की सीमा तक की धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किये जाने पर सहमति दी गयी।

(स) माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों एवं श्रम न्यायालय में विश्वविद्यालय की पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं को देय पारिश्रमिक के अनुमोदन के संबंध में।

उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में योजित याचिकाओं के लिए अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की निर्धारित दरें–:

विवरण	दरें
विश्वविद्यालय द्वारा कोई वाद योजित किये जाने पर याचिका तैयार किये जाने तथा विश्वविद्यालय के विरूद्ध वाद योजित होने पर जवाब–दावा इत्यादि तैयार किये जाने हेतु व्यय	₹ 15000/–
प्रकीर्ण व्यय (टंकण/फोटोकॉपी/कोर्ट फीस आदि)	वास्तविक व्यय

कुलपति महोदय ने प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, डॉ0 बी0सी0 मलकानी, निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड व प्रतिनिधि सचिव, वित्त, सुश्री कृष्णा रौंकली, वित्त नियन्त्रक, गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय, पंतनगर व समस्त आन्तरिक सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों से समस्त सदस्यों को अवगत कराया तथा सचिव वित्त समिति के कार्यों की सराहना की। सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष वित्त समिति/कुलपति जी की अनुमति से विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 10वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद संख्या–10.01 **दिनांक 22 जून, 2016 को पूर्व में वित्त समिति की 9वीं बैठक सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 9वीं बैठक 22 जून, 2016 में लिये गये निर्णय का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तद्नुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मति से 9वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या–10.02 **वित्त समिति की दिनांक–22 जून, 2016 को सम्पन्न हुई, नौवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

वित्त समिति की 9वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए, बिन्दु संख्या 9.13 में विशेष दैनिक भत्ता के स्थान पर मानदेय से प्रतिस्थापित करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–10.03 **शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त धनराशि, वर्ष 2017–18 के अनुमानित मांग तथा वेतनादि मद में विश्वविद्यालय स्रोतों से अतिरिक्त व्यय की गयी धनराशि की कार्येत्तर स्वीकृति।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेत्तर पक्ष में वेतनादि तथा सहायक अनुदान मदों हेतु प्राप्त राज्य अनुदान आय–व्ययक विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु अनुमानित व्यय विवरण अनुदान संख्या– 11, मद संख्या–43 वेतनादि में ₹ 12,16,92,943/– तथा सहायक अनुदान संख्या–20 में ₹ 1,58,20,000/– (कार्यसूची संलग्नक–'क') समिति के सम्मुख प्रस्तुत